

 <p>क.रा.वी.नि. ESIC</p>	<p>कर्मचारी राज्या बीमा निगम (ग्रुप एवम् कर्मसंज्ञान महक, भारत सरकार) कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ग्रुप एवम् रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार) Employee's State Insurance Corporation (Ministry of Labour & Employment, Government of India)</p>	 <p>सत्यमेव जयते</p>	<p>आঞ্চलिक कार्यालय, कोलकाता पंचदीप भवन, 5/1 ग्रांट लेन, कोलकाता-700012 क्षेत्रीय कार्यालय, कोलकाता पंचदीप भवन, 5/1 ग्रांट लेन, कोलकाता-700012 Regional Office, Kolkata Panchdeep Bhawan, 5/1 Grant Lane, Kolkata-700012 ☎: 033 2236 4454-55, 033 2225 9236, Fax: 033 2236 5279 E-mail: rd-westbengal@esic.nic.in Website: www.esic.nic.in</p>
--	--	---	---

No. 41.A.22/15/Gr.C/2025-Med.Admn.

Dated: 05-03-2026

परिपत्र / C I R C U L A R

विषय: पश्चिम बंगाल क्षेत्र के अंतर्गत समूह 'ग' (Group 'C') पैरा-मेडिकल संवर्ग के कर्मचारियों/संबद्ध स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों के वार्षिक सामान्य स्थानांतरण (AGT – 2026) हेतु ऑनलाइन पोर्टल सक्रिय करने के संबंध में।

Sub: Activation of online Portal for transfer/posting (AGT – 2026) of Group 'C' Para-medical Cadres employees/ Allied Healthcare Professionals under West Bengal Region – Reg.

मुख्यालय कार्यालय के पत्र संख्या Z-11/11/1/Misc/2021-Part(3)-Med-VI दिनांक 28.12.2024 के माध्यम से ईएसआईसी (ESIC) में पैरामेडिकल कर्मचारियों के स्थानांतरण/पदस्थापन (Transfer/Posting) के लिए निर्धारित नीति की ओर सभी समूह 'ग' संबद्ध स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों का ध्यान आकर्षित किया जाता है।

Attention of all Group 'C' Allied Healthcare Professionals are drawn to the policy for transfer/posting of Paramedical employees in ESIC issued and framed by Hqs office vide letter No. Z-11/11/1/Misc/2021-Part(3)-Med-VI dated 28.12.2024.

पश्चिम बंगाल क्षेत्र के अंतर्गत कार्यरत सभी संबंधित पेशेवरों को सूचित किया जाता है कि ऑनलाइन पोर्टल **05.03.2026** से **12.03.2026** तक प्रभावी रहेगा। अतः सभी पत्र कर्मचारियों से अनुरोध है कि वे दिनांक 28.12.2024 की स्थानांतरण नीति के अनुरूप अपने स्थानांतरण विकल्प/अनुरोध ऑनलाइन प्रस्तुत करें।

All concerned are hereby informed that the online portal will remain active from **05.03.2026 to 12.03.2026** for all Group 'C' Allied Healthcare Professionals under West Bengal Region and they are requested to submit their transfer requests/options in accordance with the transfer policy dated 28.12.2024.

ऑनलाइन अनुरोध प्राप्त होने पर, संबंधित कार्यालय प्रमुख का यह उत्तरदायित्व होगा कि वे स्थानांतरण नीति के प्रावधानों के अनुसार इनका सत्यापन करें और **17.03.2026** को अपराह्न **5:00** बजे तक अनिवार्य रूप से इस कार्यालय को अग्रपिष्ट करें, ताकि समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।

The Heads of the Office (HoO) concerned upon receipt of the online requests will must verify and forward the same to this office in accordance with the provisions of the transfer policy by **5:00 PM on 17.03.2026** without fail to facilitate timely action at this level.

चूँकि स्थानांतरण नीति में केवल ऑनलाइन प्रणाली का ही प्रावधान है, अतः भौतिक आवेदन (Physical Application), ईमेल या ऑनलाइन विकल्पों के स्क्रीनशॉट स्वीकार नहीं किए जाएंगे। संबंधित नियंत्रण अधिकारी इस निर्देश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

As this policy mandates an online mechanism to deal with the transfer/ posting requests, physical applications/screenshots of online options applied, email etc. will not be accepted. The controlling officer shall ensure the compliance of this direction.

यह स्पष्ट किया जाता है कि किसी विशिष्ट स्थान/इकाई पर पद की रिक्ति मात्र से उस स्थान पर तैनाती का कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं होगा।

It may kindly note that mere availability of vacancy at a particular place/location will not bestow any right of being posted against that vacancy.

सभी संबंधितों को निर्देशित किया जाता है कि वे अपने पदस्थापन के संबंध में किसी भी प्रकार का बाहरी अथवा राजनैतिक प्रभाव डालने का प्रयास न करें। सीसीएस (आचरण) नियम, 1964 के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर संबंधित कर्मचारी के विरुद्ध सीसीएस (सीसीए) नियम, 1965 के प्रासंगिक प्रावधानों के अंतर्गत अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

Further, all concerned are hereby advised to refrain themselves from bringing any form of external or political influence in matters relating to their place of posting. Any violation of the provisions of the CCS (Conduct) Rules, 1964 shall render the concerned official/s liable for appropriate disciplinary action under the relevant provisions of the CCS (CCA) Rules, 1965, as deemed fit.

'स्थानांतरण मॉड्यूल' (Transfer Module) में किसी भी तकनीकी कठिनाई की स्थिति में, संबंधित कर्मचारी तुरंत अपनी आधिकारिक ईमेल आईडी से **ithelpdesk@esic.gov.in** पर संपर्क करें और इसकी प्रति (CC) अपने नियंत्रण अधिकारी को प्रेषित करें।

In case of any technical issues/glitch with the 'Transfer Module,' employees concerned should immediately contact the IT Helpdesk through email at **ithelpdesk@esic.gov.in** under intimation their controlling Officers using their official email ID.

सभी कार्यालय प्रमुखों से अनुरोध है कि वे उचित लिखित पावती (Acknowledgement) प्राप्त करते हुए इस परिपत्र को सभी संबंधित कर्मचारियों के संज्ञान में लाएं।

All HoO are requested to bring this circular to the notice of all concerned employees under proper written acknowledgement.

इसे क्षेत्रीय निदेशक के अनुमोदन से जारी किया गया है।

This issues with the approval of the RD

Dy. Director (Med.Admn.)

सेबा मे/ To

सभी संबंधित अधिकारी/ All concerned officials

[उनके नियंत्रण अधिकारियों के माध्यम से]/ [Through their Controlling Officers]

Copy to:

1. The Dean, ESI-PGIMSR, MC & Hospital and ODC (EZ), Joka.
2. The MS, ESIC Hospital & ODC (EZ), Joka
3. The JD (I/c), SRO Durgapur, ESI Corporation, Durgapur.
4. The SMO, Medical Division, RO-Kolkata.
5. All DCBO (I/c)s, DCBOs under West Bengal Region.
6. Branch Officer, Rajbhasha Sakha.
7. BO, ICT Br., RO Kolkata - ***with the request to upload it on the website of ESIC, RO-Kolkata for wide circulation.***
8. PS to RD/PA to JD (Admn.), ESIC, RO, Kolkata.

